

बाजार 30 S

शेयर बाजार

सेंसेक्स	निफ्टी
77,540 +3.11	24,252 +20.15

कमोडिटी

भाव	बदलाव	₹	\$
सोना	1,63,500	+1,200	करेंसी डॉलर/रुपया
चांदी	2,50,000	+5,000	
		95.71	+0.03

आईटीएन 250,000 में शुद्धसंग्रह बैंड बनाएगी

आईटीएल ग्रोनों में अनुसंधान केंद्र बनाएगी

ई-नीलामी विक्रय सूचना
सराफेरी अधिनियम 2002 के अंतर्गत

[illegible]

कक्षा बैक ऑफ इण्डिया के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, जो "पढाई है, जैसी है 13(2) के अन्तर्गत मांग सूचना वर्णित बंधनो राशि एवं उस पर ब्याज, खर्च एवं व्ययों की वसूली सभी दिनांक किया गया है, आरक्षित मुल्य घोषारा सभी सम्पत्तियों के आगे अंकित है।	बैंचक रखी सम्पत्ति का विवरण एवं सम्पत्ति के बंधककर्ता का नाम / ऋणी	आरक्षित मुल्य (लाभ में घटोहरा राशि (लाभ में) बोली भुद्री राशि
---	--	---

एस्टेट, ग्वालियर रोड, राधिका मंडप के सामने, झांसी (उ.प्र.), पिन कोड-284003		
सभी भूमि एवं भवन स्थित अराजी संख्या 1145 का प्लॉट, मौजा लहरिद आबादी/मोहल्ला दीन दयाल	रु. 18.42	
नगर तहसील एवं जिला झांसी	रु. 1.84	
	रु. 25,000/-	

क्षेत्रफल: 70.84 वर्ग मीटर
परिसर की चौहद्दी: पूर्व: विक्रेता श्रीमती मंजू दत्ता का प्लॉट, पश्चिम: श्रीमती गोमती का मकान, उत्तर: 15 फीट चौड़ा रास्ता, दक्षिण: वर्मा जी एवं भगवती

प्रसाद का प्लॉट		
लाल पत्नी संतोष	सभी भूमि व भवन स्थित दादियापुरा प्रथम, मद्रासी कॉलोनी, तहसील एवं जिला झाँसी, मालिक: किरण देवी कश्यप। पत्नी श्री संतोष विश्वकर्मा क्षेत्रफल: 795	रु. 13.12 लाख रु. 1.31 लाख

ह पुत्र स्व	वर्ग फीट, परिसर की चौहद्दी: पूर्व: श्रीमती कलावती मिश्रा एवं अन्य का मकान, पश्चिम: मखन लाल विश्वकर्मा का मकान, उत्तर: बाउण्ट्री वॉल महाकालेश्वर मंदिर, दक्षिण: रास्ता 15 फीट	₹. 25,000/-
ज दिनांक		

स्थान: झांसी	प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया
--------------	-----------------------------------

अदल संपत्ति का साम्यिक बंधक स्थित अराजी संख्या 448, मौजा सिजवाहा, झांसी शिवपुरी हाईवे के पास, तहसील एवं जिला झांसी, उत्तर प्रदेश 284003, मालिक: जमानतकर्ता श्री विकास सैन पुत्र रामबाबू	रु. 9.24 लाख रु. 0.92 लाख रु. 25,000/-
---	--

सैन, कुल भूमि का क्षेत्रफल 92.94 वर्ग मीटर, **परिसर की चौहद्दी:** पूर्व: 5.50 मीटर चौड़ा रास्ता, **पश्चिम:** श्रीमती गीता का प्लॉट, **उत्तर:** विक्रेता का प्लॉट, **दक्षिण:** अमय गुप्ता का प्लॉट

स्थान: झांसी	प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया
बिल्डिंग, मॉल रोड, जिला कानपुर (उ.प्र.) 208001	
पत्नी स्वर्गीय सती सम्पत्ति का सांथिक बंधक स्थित प्लॉट सं.	रु. 472.20 लाख

543/87, कं. ब्लॉक, याजना II, किंदवई नगर, कानपुर- 208011, क्षेत्रफल 505.09 वर्ग मीटर, मालिक: श्रीमती राम दुलारी श्रीवास्तव पत्नी स्वर्गीय श्री राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव संपत्ति की चौहदारी: पूर्व: 40 फीट चौड़ी सड़क	रु. 47.22 लाख रु. 50,000/-
---	-------------------------------

राज दिनांक
द में वसूली

परिवहन: प्लॉट सं. 543/86, उत्तर: 80 फीट चौड़ी
सड़क, दक्षिण: प्लॉट सं. 543/88

ल पुत्र राज	अबल संपत्ति का साम्यिक बंधक स्थित परिसर संख्या- 127/W/621/11, प्लॉट-621/11, केराय नगर, ब्लॉक-W, योजना संख्या-2, जूही, जिला-कानपुर नगर-208014, क्षेत्रफल 464.04 वर्ग मीटर	रु. 447.50 लाख
चंदेल पत्नी		रु. 44.75 लाख
		रु. 50,000/-

मालिक: स्वर्गीय बलवीर सिंह वंदेल
संपत्ति की चौहद्दी: पूर्व: 30 फीट की सड़क,
पश्चिम: प्लॉट संख्या 621/12, उत्तर: प्लॉट संख्या
621/27, दक्षिण: 100 फीट सड़क

स्थान: कानपुर	प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया
---------------	-----------------------------------

रा. नारायण धनशाला रु पास, पा.रा. लावा, प्रथम तल, नया दुकान सं. १६-२, आसा (व.प्र.) 141 कोड-284001		
रा. दास बर्मा, रा. नारायण	सभी भूमि एवं भवन स्थित मकान संख्या 75 1/2 पुराना, 102, नया मोहल्ला, नरसिंह राय तोरिया, तहसील एवं जिला झांसी क्षेत्रफल: 114.77 वर्ग मीटर	रु. 28.18 रु. 2.82 रु. 25,000/-

पज दिनांक द में वसूली	परिसर की चौहद्दी: पूर्व: श्रीमती मिथला देवी त्रिपाठी का मकान, पश्चिम: नन्धू रायचव्हर का मकान एवं चव्तरा, उत्तर: रामदास पहलवान का मकान, दक्षिण: सामान्य 1.09 मीटर चौड़ी रोड
--------------------------	---

स्थान: झांसी		प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया	
को-ऑपरेटिव इण्डस्ट्रियल एरिया, दादा नगर, कानपुर 208022			
अचल सम्पत्ति का सामयिक बंधक, मकान सं. 367 स्थित ब्लॉक सं. जे, स्कीम EWS-II, गुजनी KUDP,	₹. 27.88		
	₹. 2.78		

मोहल्ला गुजनी, कानपुर नगर-208022 क्षेत्रफल 36.75 वर्ग मीटर; मासिक: श्री मनीष शर्मा एवं श्री नीतेश शर्मा, चौहद्दी: पूर्व: प्लॉट/ मकान सं. 372, पश्चिम: 4.50 मीटर चौड़ी सड़क, उत्तर: प्लॉट/ मकान सं. 368, दक्षिण: प्लॉट/ मकान सं.	रु. 25,000/-
---	--------------

स्थान: कानपुर	प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया
परोहर राशि जमा करने की अन्तिम तिथि 24.09.2026 शाम 04.00 बजे तक नीलामी तिनांक 25.09.2026 को समय प्रातः 11 बजे से शाम 5.00 बजे तक	

(5) मिनट अन्तराल को असीमित विस्तार को साथ)

नामी "जहाँ है, जैसी है" एवं "जो कुछ भी है" को आधार पर हो रही है। 2. प्राधिकृत अधिकारी की जा रही सम्पत्ति भार मुक्त है फिर भी इच्छुक निविदाकर्ता को चाहिए की ई-नीलामी में भाग लेने सेम सविधिक देयतायें (सीमा शुल्क एवं उत्पाद कर/आयकर एवं या अन्य कोई सरकारी एजेंसी)

सभी वतमान एवं भविष्य के ज्ञात अथवा अज्ञात भातों के साथ बंधी जा रही है। प्रापिकृत अधिकारी क्लेम अधिकार एवं देनदारियों के प्रति उत्तदायी नहीं होगा। 3. यह निविदाकर्ताओं का उत्तदायित्व का निरीक्षण कर पूर्ण रूप से संतुष्ट हो। सम्प्रति के निरीक्षण के लिये बैंक ऑफ इण्डिया लि. इच्छुक निविदाकर्ता वेब पोर्टल <https://www.BAANKNET.com> पर रजिस्टर करके आपना यूजर आईडी तथा इसी पोर्टल के माध्यम से ईमेल की जमा की जा सकती है। 5. वेब पोर्टल में पंजीकरण के बाद सभी निविदा प्रस्तावक अपने वेब आईडी एवं पासवर्ड के माध्यम से वेब पोर्टल पर जा सकते हैं।

अपना काम निष्ठापूर्वक प्रस्तुत करने से मुझे यह पता चला कि अत्यन्त कम ही लोग इसका ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। आचार्य का कहनाई, 'वोटर आइडी कार्ड', 'ब्राउजिंग लाइसेन्स' / पासपोर्ट आदि। ई-ई-नीलाभी प्रक्रिया विवादकर्ता ही भाग ले सकेंगे। 7. केवल वही इच्छुक निविदाकर्ता जिन्होंने ईएमडी भुगतान दिनांक की ई-ई-नीलाभी प्रक्रिया में भाग ले पायेंगे। 8. यदि सम्पत्ति का आरक्षित मूल्य रु. 50 लाख तक है तो के खण्ड में ही बढ़ा पायेंगे, इसी प्रकार यदि आरक्षित मूल्य रु. 50 लाख से अधिक है तो यह राशि रु. 50 लाख के प्राथमिक अधिकारी की अनुमति से सफल बोलीकर्ता घोषित किया जायेगा। जिसकी

तल पते पर दी जायेगी। 10. प्रधिकृत अधिकारी उच्चतम बोली को भी स्वीकार करने के लिए बाध्य / निरस्त करने का अधिकार प्राधिकृत अधिकारी को ही होगा। 11. सफल बोलीकर्ता की ईएमडी सभी असफल बोलीकर्ता की राशि **BAANKNET** से वापस ली जा सकेगी। ईएमडी राशि पर 12. सफल बोलीकर्ता को विक्रय मूल्य (अर्थात् अधिकतम बोली राशि) का 25 प्रतिशत (ईएमडी रंग। शेष बकाया राशि उसे 15 दिन या उसके अन्दर जमा करना होगा। सफल बोलीकर्ता द्वारा

नाराज जमा राशि बिना किसी पूर्व सूचना के जफत कर ली जायेगी। 13. निविदाकारों को यह सहज ही तब नियम एवं शर्तों की जानकारी होगी <https://www.bankofindia.co.in> in, <https://www.BAANKNET.com> सहज रूपसे या उससे अधिक है तो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194—A के अंतर्गत अधिकतम एस कर देय होगा तथा सरकारी नियमों के अनुसार विक्रय मूल्य पर अतिरिक्त जीएसटी (जहां भी के पास बिज से संबंधित उचित संसाधन होने चाहिए। इस संबंध में कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी।

जमानतदारों/बंधककर्ता को 30 दिन की विक्रय सूचना

उनके खाते में देय राशि की वसूली हेत आयोजित नीलामी में भी भाग ले सकते हैं।